प्रेस नोट संख्या 40
दिनांक 20.09.2024
सराहनीय कार्य थाना रामगंज

थाना रामगंज पुलिस द्वारा लूट का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद पिस्टल, 02 जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 19.09.2024 समय करीब 08:00 बजे रात्रि में 03 व्यक्तियों द्वारा लूट करने के इरादे से वादी मुकदमा पर पिस्टल लगाकर रुपये लूटने का प्रयास किया गया था जिसमें एक व्यक्ति आदित्य सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी कुण्डा कुँअर छावनी थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष को को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ कर थाना रामगंज पुलिस को सूचित किया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आदित्य सिंह उपरोक्त को सीएचसी भादर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 309(5) बीएनएस बनाम आदित्य सिंह उपरोक्त व 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा शेष 02 अभियुक्तियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

आज दिनांक 20.09.2024 को उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना रामगंज मय हमराही द्वारा समय करीब 10:24 बजे आदित्य सिंह उपरोक्त को सीएचसी भादर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल .32 बोर व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर घटनास्थल के पास कार के नीचे से बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य सिंह ने बताया कि मैंने अपने दो अन्य साथी अभय यादव पुत्र विजय शंकर यादव उम्र 23 वर्ष तथा विशेष पाण्डेय पुत्र दिनेश चन्द्र पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासीगण विनोबापुरी थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर के साथ मिलकर लूटने का प्रयास किया था तभी वहां पर मौजूद लोगों नें मुझे पकड़ लिया था तथा मेरे दोनों साथी मौके से भाग गये थे।

उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना रामगंज मय हमराही द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 309(5) बीएनएस में वांछित मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1.अभय यादव पुत्र विजय शंकर यादव उम्र 23 वर्ष, 2.विशेष पाण्डेय पुत्र दिनेश चन्द्र पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासीगण विनोवापुरी थाना कोतवाली नगर जनपद

सुलतानपुर को समय करीब 12:50 बजे दिन में नहर पटरी कुरंग पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त अभय यादव के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर व अभियुक्त विशेष पाण्डेय के कब्जे से 01 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुई। मोटर साइकिल टीवीएस राइडर के कागज मांगने पर दिखा न सके। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना रामगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. आदित्य सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी कुण्डा कुँअर छावनी थान छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष।
2. अभय यादव पुत्र विजय शंकर यादव उम्र 23 वर्ष निवासी विनोवापुरी थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर।
3. विशेष पाण्डेय पुत्र दिनेश चन्द्र पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासी विनोवापुरी थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 103/24 धारा 309(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 104/24 धारा 121(1), 132, 351(3) बीएनएस थाना रामगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी-

1. 01 अदद पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर
2. 01 तमंचा 01 जिंदा कारतूस 12 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर (बिना नंबर प्लेट)।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना रामगंज जनपद अमेठी।
2. हे0का0 वकील यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी।
3. का0 विपिन यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी।
4. का0 राघवेन्द्र सिंह थाना रामगंज जनपद अमेठी।
5. का0 योगेन्द्र कुमार थाना रामगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त आदित्य सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 311/22 धारा 302 भादवि थाना कादीपुर सुलतानपुर ।
2. मु0अ0सं0 326/22 धारा 25/27/9 आर्म्स एक्ट थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।